



"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"



# कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, भरतपुर

क्रमांक :- 563

दिनांक :- 04/04/18

विज्ञप्ति संख्या 01/2018-19

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित सहायक निदेशक, म.अ. कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क.स	कार्यालय का नाम एवं ई मेल आईडी	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक किस वर्ग की है। (अनु० जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग)
1.	कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर pobharatpurwe@gmail.com	ब्लॉक नगर-पहाडी	बॉस बुर्जा	अल्पसंख्यक
2.		ब्लॉक कामां	गढाजान	अल्पसंख्यक
3.			सवलाना	अल्पसंख्यक
4.			लाडलाका	अल्पसंख्यक
5.			घोसिंगा	अल्पसंख्यक
6.			धीमरी	अल्पसंख्यक
7.			घाटमीका	अल्पसंख्यक
8.			तिलकपुरी	अल्पसंख्यक
9.			सोमका	अल्पसंख्यक
10.		ब्लॉक सेवर	गांवडी	अनारक्षित

1. ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस ग्राम पंचायत के लिए चयन हो रहा है। उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।
2. साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण एवं विवाहित होना अनिवार्य है। शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले 07 जिलों - 1. बांडमेर 2. जैसलमेर 3. जालौर 4. प्रतापगढ़ 5. सिरौही 6. टोंक 7. उदयपुर हेतु 8 वीं उत्तीर्ण महिला पात्र होगी।
3. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 21-35 वर्ष लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए 40 वर्ष तथा विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के लिए 21-45 वर्ष।
4. आवेदन फार्म सहायक निदेशक कार्यालय अथवा ग्राम पंचायत या विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।
5. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र को सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय में व्यक्तिशः/ई-मित्र अथवा अन्य माध्यम द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय की ई-मेल पर, विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस (दिनांक 18.04.2018), सांय 05 बजे तक जमा करा सकेगी।
6. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सहायक निदेशक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
7. ओ.बी.सी. प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार ही मान्य होंगे।

  
सहायक निदेशक

महिला अधिकारिता विभाग

व/क भरतपुर

दिनांक :- 04/04/2018

क्रमांक :- 564-80

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर को प्रस्तुत कर निवेदन है कि संलग्न परिपत्र अनुसार ग्राम सभा के माध्यम से मानदेयकर्मी के चयन हेतु सम्बन्धित विकास अधिकारी को विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।
4. श्रीमान ए.सी.पी. महोदय, आयुक्तालय महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सादर प्रस्तुत है।

06/04/18